विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं0 696/एड0जी0–1/2020 इलाहाबाद दिनांकित 13.01.2020 के अनुपालन में परिवारिक न्यायालय मे कुल 5 परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है,जिसके संबंध में शासनादेश सं0 102/07–न्याय–2–2015–728 न्याय अनुभाग–2 अधीनस्थ न्यायालय लखनऊ दिनांक 19 जून,2015 के द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. आवेदक समाज शास्त्र या मनोवैज्ञानिक में से किसी एक विषय में से स्नातक की डिग्री रखता हो और समाज सेवा का अनुभवी हो। जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो और पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो,उसे वरीयता दी जायेगी।
2. आवेदक की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो।
3. परामर्शदाता का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
4. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी। न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेगें।
5. नियुक्ति परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा।

जो पुरूष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हों, वे अपना आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित दिनांक 28.02.2020 तक प्रशासनिक कार्यालय जिला जज,लखनऊ में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते हैं।

दिनांक –2–2020

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
लखनऊ ।

प्रतिलिपि

1. मुख्य साध्यपाल जिला जज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रशासनिक कार्यालय जिला जज लखनऊ के नोटिस बोर्ड पर, बार एसोसियेशन सिविल कोर्ट लखनऊ, बार एसोसियेशन कलेक्ट्रेट लखनऊ व वाह्य न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करे।
2. जिला सूचना अधिकारी लखनऊ को स्थानीय समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. सिस्टम आफीसर,कम्प्यूटर अनुभाग जिला जज लखनउ को इस आशय से प्रेषित हो कि वह उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायाधीश, लखनउ व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक 4 –2–2020

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
लखनऊ ।